State of Illinois
Illinois Department on Aging

IDoA
Illinois Department on Aging

# बेनेफिट एक्सेस प्रोग्राम

**यहां आवेदन करें ilaging.illinois.gov**

**बेनेफिट एक्सेस प्रोग्राम के तहत सीनियर और विकलांग व्यक्तियों को दो लाभ प्रदान किए जाते हैं:**

- **लाइसेंस प्लेट फीस में छूट**
- **निर्दिष्ट मार्गों पर मुफ्त यात्रा परिवहन प्रणालियाँ**

***पात्रता ऑनलाइन आवेदन का इस्तेमाल करके उम्र, निवास, उम्र और/या विकलांगता के आधार पर तय की जाती है।***

## योग्यताएँ:

### उम्र संबंधी जरूरतें:

- चालू वर्ष में 1 जनवरी को 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र; या
- इस वर्ष में आपकी उम्र 65 वर्ष होना जरूरी है; या
- चालू वर्ष में 1 जनवरी को आपकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और आपका विकलांग के रूप में योग्य होना आवश्यक है।

### आवास संबंधी आवश्यकताएं:

- आवेदन करते समय आपका निवास इलिनॉय में होना आवश्यक है।

### आय संबंधी आवश्यकताएं:

पिछले समाप्त कर निर्धारण वर्ष के लिए आपकी कुल सकल आय इससे कम होनी चाहिए

- 1 व्यक्ति के आवास हेतु $33,562 (सिर्फ आपके लिए); या
- 2 व्यक्तियों के आवास हेतु $44,533 (आप और आपका जीवनसाथी, या आप और एक योग्य अतिरिक्त निवासी); या
- 3 व्यक्तियों के परिवार के लिए $55,500 (आप स्वयं, आपका जीवनसाथी और एक योग्य अतिरिक्त निवासी, या आप और दो योग्य अतिरिक्त निवासी)।

***नोट:** यदि आपकी शादी पिछले वर्ष 31 दिसंबर को हुई थी और आप साथ रहते थे तो आपको अपने जीवनसाथी की आय दर्ज करनी होगी। यदि आपके जीवनसाथी का पिछले वर्ष निधन हो गया है, तो आप एकल व्यक्ति (सिंगल) के रूप में फाइल करेंगे और सिर्फ अपनी आय का दावा करेंगे। योग्य अतिरिक्त निवासी की आय शामिल न करें।*

### विकलांगता संबंधी आवश्यकताएं:

विकलांग के रूप में अर्हता प्राप्ति के लिए, चालू वर्ष की 1 जनवरी से पहले आपकी उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए और चालू वर्ष की 1 जनवरी से पहले आपको पूरी तरह और स्थायी रूप से विकलांग (प्रोग्राम जरूरतों द्वारा परिभाषित के रूप में) घोषित किया गया हो।

**यहां आवेदन करें ilaging.illinois.gov**

**सीनियर हेल्पलाइन:** **ई-मेल:** aging.ilsenior@illinois.gov
1-800-252-8966; 711 (TRS)
(सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

**हमें @IllinoisDoA पर फॉलो करें**

इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑन ऐजिंग स्टेट और संघीय कानून के अनुसार प्रोग्राम में प्रवेश या रोजगार नीतियों में भेदभाव नहीं करता है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव किया गया है, तो सीनियर हेल्पलाइन 1-800-252-8966; 711 (TRS) पर संपर्क करना चाहिए। इलिनॉय स्टेट अथॉरिटी द्वारा प्रिंट की गईं 5,000 प्रतियां 1/24 IL-402-1250